

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 703 / गोपनीय / 2019
दो-3-250 / 57 (भाग-37)

जबलपुर, दिनांक 24 जून, 2019

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के शुद्धि पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 3(ए) / 2017 / 21-व(एक)3272, दिनांक 20-06-2019 की प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-- 462004, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. महालेखाकार,(लेखा / हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. श्री प्रियांशु पाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), छिन्दवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 1168 / दो-06-02 / 2018, दिनांक 26.03.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
9. रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. अनुभाग अधिकारी, पेंशन/वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / शिकायत/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ डी०ए० (गोपनीय), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग इत्यादि संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


१ (राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
श्री



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २०/ 06/2019

//शुद्धि पत्र//

फा.क्रमांक ३(ए)2017/21-ब(एक)582, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक ०३-०१-२०१९ के प्रथम पैरा की पंक्ति क्र. २ में "श्री प्रियांशु पाण्डेय पुत्र श्री आशुतोष पाण्डेय" के स्थान पर "श्री प्रियांशु पाण्डे पुत्र श्री आशुतोष पाण्डे" पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
पृ. ३(ए)2017/21-ब(एक)3272, ओपाल दिनांक २० /०६/२०१९

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म०प्र० ३८८ उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक ६१९, गोपनीय/२०१८, दिनांक १० जून, २०१९ के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित,
2. श्री प्रियांशु पाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-२, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के पंचम अंति. न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (ट्रीनीज़ज) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अवैषित।

(रत्नेश छंद्र सिंह ब्रिसेन)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

21 JUN 2019
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
DR (Confidential)

21-6-19
Court Registry
High Court of M.P.
Jabalpur (M.P.)

(R.SG)